भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 130

(24 नवंबर, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

<u>सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम के मानक</u>

130.श्री विजय गोयलः

श्री प्रभात झाः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श ग्राम मॉडल के क्या-क्या मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ख) अब तक कितने सांसदों द्वारा आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों का चयन किया गया है और कितने चयन की प्रक्रिया में हैं;

(ग) क्या सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत निर्धारित मानक के तहत आदर्श ग्राम मॉडल को अपनाने में सांसदों द्वारा विभिन्न तरह की कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन कठिनाइयों के निदानार्थ सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री बीरेन्द्र सिंह)

(क) : माननीय संसद सदस्यों द्वारा आदर्श ग्राम पंचायतों के निर्धारण के लिए ग्राम पंचायत आधारभूत इकाई है। ग्राम पंचायत की आबादी मैदानी क्षेत्रों में 3000-5000 और पर्वतीय, जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1000-3000 होनी चाहिए। जिन जिलों में इतनी आबादी वाली पंचायतें उपलब्ध न हों, उन जिलों में वांछनीय आबादी के लगभग बराबर आबादी वाली ग्राम

पंचायतों का चयन किया जाए। जिन राज्यों में ग्राम पंचायतों की आबादी अधिक हो, उनमें संसद सदस्य (एम पी) किसी भी एक ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं क्योंकि बुनियादी इकाई ग्राम पंचायत है। संसद सदस्य आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु स्वयं अपने गांव या अपने/अपनी पति/पत्नी के गांव को छोड़कर किसी भी अन्य उपयुक्त गांव का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। संसद सदस्य तत्काल एक ग्राम पंचायत और आगे चलकर दो अन्य ग्राम पंचायतों का निर्धारण करेगा। लोक सभा संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र और राज्य सभा संसद सदस्य को अपने निर्वाचन राज्य के किसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की किसी ग्राम पंचायत का चयन करना है। नामित संसद सदस्य देश के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की किसी भी ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं। शहरी निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में (जहां कोई ग्राम पंचायत नहीं है), संसद सदस्य निकटवर्ती ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र की किसी ग्राम पंचायत का निर्धारण करेंगे।

(ख) : 493 सांसद ग्राम पंचायतों का निर्धारण कर चुके हैं और अन्य सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का निर्धारण करने की प्रक्रिया जारी है।

(ग) और (घ) : सांसदों द्वारा ग्राम पंचायत (जीपी) के निर्धारण में दो मुख्य दिक्कतें आ रही हैं कि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों का आकार एसएजीवाई दिशा-निर्देशों में दिए गए आकार से बड़ा है और कुछ राज्य विशेष तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में ग्राम पंचायतें नहीं हैं। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है कि एसएजीवाई दिशानिर्देशों के खण्ड 9 से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत आधारभूत इकाई होगी और उन जिलों में जहां इस आकार की सुझाई गई इकाई उपलब्ध नहीं है, वहां लगभग समान वांछनीय आबादी वाली ग्राम पंचायतों को चुना जा सकता है। इसलिए जिन राज्यों में बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, वहां सांसद उनमें से किसी एक को चुन सकता है, क्योंकि ग्राम पंचायत एक मूल इकाई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, जिन राज्यों के पास ग्राम पंचायतें नहीं हैं, उन राज्यों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत माने गए निकाय पर एसएजीवाई में विचार किया जा सकता है। यद्यपि, सांसद निर्धारित ग्राम पंचायतों में एसएजीवाई के कार्यान्वयन से संबंधित पहल की अगुवाई और मार्गदर्शन करेगा, कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट जिला स्तर पर नोडल अधिकारी होगा। सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को योजना के बारे में बताने के लिए विडियो कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और अनुरोध किया है कि वे माननीय सांसदों को सहायता देने की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करे ताकि आदर्श ग्राम पंचायतों का निर्धारण किया जा सके और बाद में स्कीम का कार्यान्वयन किया जा सके।